

ORDER SHEET

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.)

THE COURT

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:- 86/2020

राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बेरना वि० अफम 3/11

Date of Order of Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
26/2/2020	आरक्षी केन्द्र बेरना की ओर से आरक्षक राजेश्वर कर्मांक द्वारा अपराध क्रमांक 92/20 में आरोपी/गण ① अफम 3/1 अफम 4/25 नि. धारा 13 के विरुद्ध धारा-13 जुआ अधिनियम के अंतर्गत यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोग पत्र का परिशीलन किया गया। प्रकरण विधिवत आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध किये जाने हेतु केन्द्रिय पंजीयन कक्ष में भेजा जावे। धारा 13 जुआ अधिनियम के अपराध के लिये विशिष्टियाँ सुनाये जाने पर आरोपी/गण ने स्वेच्छया से उपरोक्त अपराध करना स्वीकार किया। स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय घोषित कर आरोपी को धारा-13 जुआ अधिनियम के अपराध के लिये न्यायालय में उठने तक की सजा एवं रुपये /- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को दिन/माह का साधारण कारावास भुगताया जावे। आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा कर दी गई जो चालान क्रमांक ① MPT 0070260 22020000 230 तथा केयोरक क्रमांक ② MPT 0070260 22020000 233 पर जमा की गई है। ① 00709391 ② 00709394 प्रकरण पंजी से कम होकर अभिलेखागार में जमा किया जाये।	अफम 4/25

रेजीक

(दिनेश भीजा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.)